न्यायालय उप खण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)
पीठासीन श्री उम्मेद सिंह R.A.S.

मुकदमा नम्बर 25/19

दिनांक 9-4-19

1- नन्दा पिता सुवा धोबी निवासी टोरडि माफी

— प्रार्थी

बनाम

1- नाथू पिता रामचन्द्र धोबी निवासी टोरडि माफी
2- मोती पिता धन्ना धोबी निवासी टोरडि माफी
3- नारायण पिता बजरंग धोबी निवासी टोरडि माफी
4- पप्पू पिता बजरंग धोबी निवासी टोरडि माफी
5- मुकेश पिता बजरंग धोबी निवासी टोरडि माफी
6- बदाम पत्नि बजरंग धोबी निवासी टोरडि माफी
7- रंगलाल पिता रामचन्द्र धोबी निवासी सांवली (भीलवाड़ा)
8- हेमराज पिता रंगलाल धोबी निवासी सांवली (भीलवाड़ा)
9- बाली पुत्री रंगलाल धोबी निवासी सांवली (भीलवाड़ा)
10- रामप्यारी पुत्री रंगलाल धोबी निवासी सांवली (भीलवाड़ा)
11- धापली पुत्री रंगलाल धोबी निवासी सांवली (भीलवाड़ा)
12- रामलाल पिता भेरू धोबी निवासी टोरडि माफी
13- कैलाश पिता भेरू धोबी निवासी टोरडि माफी
14- मानी बेवा भेरूलाल धोबी निवासी टोरडि माफी
15- तहसीलदार जहाजपुर

— अप्रार्थीगण (अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) R.T.A.

उपस्थित

1- श्री हीरालाल शर्मा
एड. प्रार्थी

2- श्री आशुतोष जोशी
एड. अप्रार्थीगण

प्रकार है कि ग्राम टीबड़ा माफी पट्‌टी हल्का [illegible] की आराजी
नम्बर 465 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा प्रार्थी के खातेदारी
में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं टीबड़ा
माफी पट्‌टी हल्का [illegible] की आराजी नम्बर 459 रकबा
10 बिस्वा में अप्रार्थी सं. 1 से 6 के नाम खातेदार रेकर्ड में
दर्ज थी एवं आराजी नम्बर 460 रकबा 11 बिस्वा खाते अप्रार्थी
सं. 7 से 11 व प्रतिवादी सं. 12, 13, 14 के [illegible]-पति [illegible]
[illegible] होता [illegible] के खातेदारी में दर्ज थे एवं [illegible] [illegible] होता
[illegible] होता [illegible] के खातेदारी में दर्ज थे एवं [illegible] होने से मामला
फोत होने से प्रतिवादी सं. 12, 13, 14 कायम
[illegible]।

उक्त आराजीयात पर प्रार्थी वर्षों से काबिज होकर
काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी अपने खेत व
[illegible] की खातेदारी युक्त आराजी नम्बर 465 में जाने
[illegible] माफी से सम्बन्धित कब्जा जाने वाले रास्ते को
[illegible] होकर आराजी नम्बर 459 व 460 की [illegible] [illegible]
होकर आराजी नम्बर 459 व 460 की [illegible] आराजी चक नम्बर 462
8 फीट चौड़ा रास्ता होकर आराजी [illegible] में [illegible] की आता
है प्रवेश करके आराजी नम्बर 465 में [illegible] को आता
जाता रहा है इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई
वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे आराजी नम्बर 459, 460 में
8 फीट चौड़ा रास्ता की मांग की।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर
[illegible] अप्रार्थीगण को तलबी की गई अप्रार्थीगण
[illegible] अप्रार्थीगण की [illegible] आपत्ति-पत्र पेश कर
की ओर से [illegible] आपत्ति-पत्र प्रार्थी ने जवाबदावा
जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने [illegible] [illegible] व बोगस
को मनगढ़न्त व [illegible] करते हुए [illegible] पेश किया है
तथ्यों पर आधारित यह प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने
कानूनन [illegible] नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के
[illegible] आराजी नम्बर 465 में जाने
का [illegible] रास्ता है अपने आराजी नम्बर 465 के बीच में आराजी
का [illegible] करता है उक्त [illegible] रास्ते के आराजी नम्बर 462 के
नम्बर 462 आती है व प्रार्थी ने आराजी नम्बर 462 के पाश्व
वर्तमान खातेदार [illegible] नामजद [illegible] पार्टी [illegible]
नहीं बनाया है न उसके विरुद्ध कोई [illegible] [illegible] नहीं
स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र कानूनन [illegible] नहीं
रहता है।
[illegible] आराजी नम्बर 465 में जाने के लिए

[illegible]
व उपखण्ड अ० दरोगो गवाह स्थान मौके पर मौके रिपोर्ट वकील में रास्ते बताने का तथ्य है, जैसे पर होकर पूर्व से प्रार्थी आता जाता था। प्रार्थी पूर्व से ग्राम शिवपुरा आराजी आराजी के पश्चिम दिशा की ओर स्थित आराजी नम्बर 451 की रास्ती मेड़ पर होकर आराजी नम्बर 452 की रास्ती मेड़ पर होकर आराजी खसरा 455 (खेत का कुआ) पर होकर आराजी नम्बर 456 की रास्ती मेड़ पर होकर आराजी नम्बर 465 में प्रवेश करता था और यही उसका मुख्य रास्ता है अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावे।

उभयपक्ष के तर्क सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि भू.अ. निरीक्षक पटवारी हल्का पर्चा मौका से बताया कि आराजी नम्बर 451, 452, 455, 456 की रास्ता की कोई जगह है। यह रास्ता [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना न्यायपूर्ण उचित नहीं समझता हूँ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी एक्ट का अस्वीकार किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 11-8-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

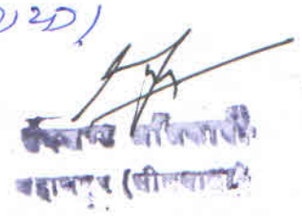

[illegible] अधिकारी,
[illegible] (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.08.29 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: